संख्या- 14/2019/744/बयालिस-2019-213(विविध)/2014

प्रेषक,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 29 मार्च, 2019**

विषय :- 18 वें एशियन गेम्स-2018 जकार्ता, इण्डोनेशिया में उ0 प्र0 के पदक विजेता/प्रतिभाग करने वाले खिलाडियों को पुरस्कार राशि दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- जी-1714/संग0/एशियन गेम्स/2018-19, दिनांक 25.03.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा श्री अमित कुमार, पुत्र श्री इन्द्रपाल, ग्राम-बिटावदा, थाना-बुढ़ाना, जिला- मुजफ्फरनगर, उ0 प्र0 द्वारा शूटिंग खिलाडी के रूप में 18 वें एशियन गेम्स-2018 में प्रतिभाग करने के फलस्वरूप पुरस्कृत किये जाने हेतु रू0 5.00 लाख (रूपया पॉच लाख मात्र) स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त श्री अमित कुमार, पुत्र श्री इन्द्रपाल, ग्राम- बिटावदा, थाना- बुढ़ाना, जिला- मुजफ्फरनगर, उ0 प्र0 द्वारा शूटिंग खिलाडी के रूप में 18 वें एशियन गेम्स-2018 प्रतिभाग करने के फलस्वरूप पुरस्कृत किये जाने हेतु नियमानुसार देय पुरस्कार राशि रू0 5.00 लाख (रूपया पॉच लाख मात्र) दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- उक्त धनराशि का उपयोग जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत किया जा रहा है, उसे किसी भी दशा में अन्य किसी प्रायोजन में व्यय नहीं की जायेगी।

4- शासनादेश संख्या- 2125/बयालिस-2018-213(विविध)/2014, दिनांक 27 सितम्बर, 2018 की शेष शर्ते यथावत रहेगी।

5- उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक-2204-खेलकूद तथा युवा सेवायें-104-खेलकूद-13-राष्ट्रीय/अन्तर्रा य प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाडियों को पुरस्कार-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)'' मद से वहन किया जायेगा।

भवदीय,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 744(1)/बयालिस-2019-तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1)- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

(2)- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

(3)- मुख्य वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।

(4)- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(5)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2 (तीन प्रतियों में)

(6)- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5

(7)- नियोजन अनुभाग- 4

(8)- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।